उत्तर रेलवे

230–विद्युत लोको परिचालन/दिल्ली/तकनीकी–24/2022
दिनांक :– 22/12/2022

मण्डल कार्यालय
नई दिल्ली

तकनीकी सर्कुलर–DLI/RSO-13/2022

विषय :– लाईट इंजन मूवमेन्ट (अकेला एवं डेड इंजन के साथ) के समय बरती जाने वाली सावधानी के सम्बन्ध में।

- लाईट इंजन मूवमेन्ट के समय निम्न सावधानियाँ बरते :–

1. गाड़ी चलाने से पहले पिछले डेड लोको में लोको ब्रेक लगना व रिलीज होना सुनिश्चित अवश्य करें।
2. लोको जोडने के बाद बी.पी. पाईप जोडकर, बी.पी. एंगल कॉक अवश्य खोलें।
3. लाईट इंजन में कार्य करते हुऐ ब्रेक फील टेस्ट अवश्य करें, प्राप्त ब्रेक पावर के अनुसार अपने विवेक से निम्न तालिका (मद–7) के अनुसार गति सीमा को ध्यान में रखते हुऐ कार्य करें।
4. 500 मीटर चलने के बाद लोको खड़ा करके पीछे डेड लगे लोको के ब्रेक रिलीज होना सुनिश्चित करें।
5. ब्रेकिंग से पहले ट्रैक्शन को बन्द करे ले, सामान्यतः A-9 से ही ब्रेक लगाये। यथासम्भव DBR/RG ब्रेक का अधिकतम प्रयोग करें।
6. ध्यान रखें कि गाड़ी के साथ कार्य करने के अनुपात में डेड अटैच इंजन के साथ ब्रेकिंग डिस्टेन्स अधिक हो जाता है, इसलिये उचित दूरी पर ब्रेकिंग करें।
7. फुल सर्विस ब्रेक/इमरजेन्सी ब्रेक/SA-9 का प्रयोग केवल आपात स्थिति में करें। कार्यरत इंजन में इस प्रकार ब्रेकिंग करे कि अगर पीछे डेड इंजन लगा है तो वह कार्यरत इंजन को रूकते समय धक्का ना लगाये।
8. गति का विशेष ध्यान रखें व निम्न तालिका के अनुसार इंजन का परिचालन करें :–

Formation	Section	Speed Limit in Delhi Area GZB DLI/NDLS-GZB	Speed Limit for all Other sections of DLI, UMB, LKO and FZR Division
1. Single light engine.	Level	60 kmph	Max permissible Sectional speed.
2. One working and one dead loco.	Level	60 kmph	75 kmph
3. One working and two dead locos.	level	40 kmph	60 kmph
4. One working and three dead locos.	Not permitted	-	-

अतः समस्त मुख्य लोको निरीक्षक अपने नामित/गैर नामित स्टॉफ को उक्त मद पर काउंसलिंग करें व अपनी काउंसलिंग रिपोर्ट निम्न फॉर्मेट में दिनांक 22.01.23 तक मण्डल कार्यालय में दें।

काउन्सल किये गये स्टाफ की संख्या		
LP	ALP	LPS

22/12/22

वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियंता/परिचालन
उत्तर रेलवे, नई दिल्ली

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य विद्युत लोको अभियंता/उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली – सूचनार्थ।
2. समस्त मुख्य लोको निरीक्षक–गाजियाबाद, दिल्ली, नई दिल्ली, आनन्द विहार, पानीपत, जींद, जाखल, रोहतक, निजामुद्दीन, पलवल, मेरठ, शकूरबस्ती एवं तुगलकाबाद–आवश्यक कार्यवाही हेतू।
3. समस्त लोको लॉबी नोटिस बोर्ड– सूचनार्थ।
4. बेसिक प्रशिक्षण केन्द्र/तुगलकाबाद–आवश्यक कार्यवाही हेतू।
5. विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र/चिपियाना/गाजियाबाद/उत्तर रेलवे–आवश्यक कार्यवाही हेतू।